

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
49, SHAM NATH MARG, DELHI - 110054.

Dated: 9/11/17

NOTIFICATION

No. F. 8(38)/2016/DAM/MR/3075 In exercise
of the powers conferred by sub-section (1) of section 36 of the Delhi
Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7
of 1999), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
hereby nominates the following persons to be the members of the
Agricultural Produce Marketing Committee, Narela, Delhi, namely:-

THREE NOMINATED AGRICULTURISTS

1. Sh. Naveen Yadav, : Member
S/o Sh. Ajeet Yadav,
B-258, 1st Floor, PNB, Swaroop Nagar,
Delhi-110042.
2. Sh. Jasbeer Singh, : Member
S/o Sh. Baljeet Singh,
H.No. 116 Subedar Ram Mehar Gali,
Village Tajpur Kalan, Delhi-110036.
3. Sh. Bhupender Singh, : Member
S/o Sh. Raj Singh Saini,
H.No. 143, Bhor Garh, Narela,
Delhi-110040.

TWO ELECTED TRADERS AND COMMISSION AGENTS

1. Sh. Arun Kumar, : Member
2046, Old Anaj Mandi, Narela,
Delhi-110040.
2. Sh. Raj Kumar, : Member
2082-D, Anaj Mandi, Narela,
Delhi-110040.

Sarav

ONE REPRESENTATIVE OF LOCAL AUTHORITY

- 1 Sh. Mohit Kumar (Ward No.- 49N) : Member

ONE ELECTED MEMBER OF LICENSED WEIGHMEN AND MEASURERS

1. Sh. Ranjit Singh, : Member
Shop No. 2038, Old Anaj Mandi, Narela,
Delhi-110040.

ONE NOMINATED MEMBER OF DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY


1. Sh. Sharad Kumar, MLA : Member
H.No. 123, Bhumiya Chowk, Village Bakoli,
Delhi-110036.

TWO NOMINATED MEMBERS TO REPRESENT THE INTEREST OF CONSUMERS

1. Sh. Sanjay Kumar, : Member
S/o Sh. Bhupender Kumar,
613/2 Near Mini Stadium, Alipur,
Delhi-110036.
2. Sh. Gopi Ram Goyal, : Member
S/o Late Sh. Prahlad Raj,
T-308, Gali No. 6, Shivaji Nagar, Narela,
Delhi-110040.

The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby further directs that the Members of the said Marketing Committee shall take charge of their office with effect from the date of the publication of their names in the Official Gazette. They shall hold office for a term of three years as provided under section 41 of the said Act.

By order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,


(SAKSHI MITTAL)
JOINT SECRETARY (AM)
GOVT. OF NCT OF DELHI

No. F. 8(38)/2016/DAM/MR/3076-89

Dated: 9/11/17

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi.
- 2 The Agricultural Marketing Adviser to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad (Haryana).
- 3 The Principal Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- 4 The Pr. Secretary, Law, Justice & Legislative Affairs Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 5 The Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 6 The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 7 The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 8 The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi.
- 9 The Chairman, Vice Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary, Delhi Agricultural Marketing Board.
- 10 The Director, Deptt. of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- 11 The Deputy Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Gazette (Extra-Ordinary) Part-IV and copies of the same may be arranged for this office.
- 12 The Secretary, APMC (MNI), Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur, Shahdara (Fruits & Vegetable Market), Gazipur, Delhi, Fish Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur and Flower Marketing Committee, IFC Gazipur, Delhi.
- 13 The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 14 Guard file.



(SAKSHI MITTAL)
JOINT SECRETARY (AM)
GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विकास विभाग)

कृषि विपणन निदेशालय

49, शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दिनांक : 9/11/17

अधिसूचना

सं.एफ 8(38)/2016/डी0ए0एम0/एम0आर0/3075 दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) की धारा 36 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित को सहर्ष तुरंत प्रभाव से कृषि उपज विपणन समिति, नरेला, दिल्ली के सदस्य मनोनीत करते हैं:-

तीन मनोनित कृषक

1. श्री नवीन यादव, : सदस्य
सु0 श्री अजीत यादव,
बी-258, प्रथम तल, पीएनबी, स्वरूप नगर,
दिल्ली-110042.
2. श्री जसबीर सिंह, : सदस्य
सु0 श्री बलजीत सिंह,
म.न. 116 सुबेदार राम मेहर गली,
गांव ताजपुर कला, दिल्ली-110036.
3. श्री भुपेन्द्र सिंह, : सदस्य
सु0 श्री राज सिंह सैनी,
म.न. 143, भोर गढ़, नरेला,
दिल्ली-110040.

दो निर्वाचित व्यापारी और आदती

1. श्री अरुण कुमार, : सदस्य
2046, पुरानी अनाज मण्डी, नरेला,
दिल्ली-110040.
2. श्री राज कुमार, : सदस्य
2082-डी, अनाज मण्डी, नरेला,
दिल्ली-110040.

साक्षी

एक प्रतिनिधि स्थानीय प्राधिकरण

1. श्री मोहित कुमार (वार्ड न०-49एन) : सदस्य

एक निर्वाचित सदस्य माप व तौल वर्ग

1. श्री रंजीत सिंह,
दुकान नं० 2038, पुरानी अनाज मण्डी, नरेला,
दिल्ली-110040. : सदस्य

एक सदस्य दिल्ली विधानसभा

1. श्री शरद कुमार, विधायक,
मं. न. 123, भूमिया पार्क, गांव बकौली,
दिल्ली-110036. : सदस्य

दो मनोनित सदस्य उपभोक्ता हितकर वर्ग

1. श्री संजय कुमार,
सु० श्री भुपेन्द्र कुमार,
613/2, नजदीक निनी स्टेडियम, अलीपुर,
दिल्ली-110036. : सदस्य
2. श्री गोपी राम गोयल,
सु० स्व० श्री प्रहलाद राय,
टी-308, गली नं० 6, शिवाजी नगर, नरेला,
दिल्ली-110040. : सदस्य

इसके अतिरिक्त, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उपरोक्त मंडी समिति के सदस्यों को, इनके नाम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से कार्यभार संभालने का निर्देश देते हैं। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 41 में दिया गया है, इन सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा।

उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के नाम से तथा उनके आदेश पर,

साक्षी

(साक्षी मित्तल)
संयुक्त सचिव (क०वि०)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं.एफ 8(38)/2016/डी0ए0एम0/एम0आर0/13676-89

दिनांक : 9/11/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली,
- 5 सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली,
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 9 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 10 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 11 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए।
- 12 सचिव, कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर, शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी), गाजीपुर, दिल्ली, मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, एवम् पुष्प विपणन समिति, आई.एफ.सी., गाजीपुर, दिल्ली।
- 13 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 14 गार्ड फाईल।

जादी

(साक्षी भित्तल)
संयुक्त सचिव (कृ0वि0)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार